एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 651/2006
हरलाल बालचंदानी व अन्य बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य

1.5.2007

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक</u>

श्री रिजवान अहमद, अधिवक्ता याचीगण।
श्री बी.एस. छाबा, उप राजकीय अधिवक्ता।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता इस रिट याचिका को प्रत्याहृत करने की अनुमति चाहते हैं। उन्हें रिट याचिका प्रत्याहृत किये जाने की अनुमति दी जाती है एवं यह याचिका प्रत्याहृत किये जाने के आधार पर निरस्त की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति